



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-23062025-264057  
CG-DL-W-23062025-264057

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 19]

नई दिल्ली, जून 8—जून 14, 2025, शनिवार/ ज्येष्ठ 18—ज्येष्ठ 24, 1947

No. 19]

NEW DELHI, JUNE 8—JUNE 14, 2025, SATURDAY/JYAISHTHA 18—JYAISHTHA 24, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं  
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India  
(Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 मई, 2025

**सा.का.नि. 75** —केन्द्रीय सरकार, असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47) की धारा 165 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पठित उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राइफल्स(समूह 'ग' के योद्धक पद) भर्ती नियम, 2001 को जहां तक उनका संबंध नायब सूबेदार(भेषजज्ञ) के पद से है, और असम राइफल्स(समूह 'ख' योद्धक पद) भर्ती नियम, 2001 को जहां तक उनका संबंध सूबेदार मेजर (भेषजज्ञ), सूबेदार (भेषजज्ञ) के पद से हैं, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, असम राइफल्स में सूबेदार मेजर(भेषजज्ञ),सूबेदार(भेषजज्ञ) और नायब सूबेदार(भेषजज्ञ) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः—

Two years.  Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	By deputation (including short-term contract), failing which by direct recruitment.	By deputation (including short term contract): Officers of the Central Government or the State Government or the Union territories or autonomous bodies or statutory organisation or public sector undertakings or universities or recognised research institute:-  (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years of regular service in the post in the level-3 (Rs. 21700-69100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).  Note 1: - The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.  Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
--	---	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:  1. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital -Chairperson;  2. Deputy Director (concerned) in the Directorate General of Health Services -Member;  3. Deputy Director Administration, Safdarjung Hospital -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F.No. A.11018/39/2024-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 जून, 2025.

**सा.का.नि. 78** — राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, कनिष्ठ परफ़्युजनिस्ट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2006 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में कनिष्ठ परफ़्युजनिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, कनिष्ठ परफ़्युजनिस्ट (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2025 है।

(II) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ परफ़्युजनिस्ट।	14* (2025)  **कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये)	लागू नहीं होता।	आयु 18 से 30 वर्ष के बीच  (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों की दशा में पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

					टिप्पण: आयु सीमा निर्धारण करने के लिए निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित की जाएगी।
--	--	--	--	--	--

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से परफ्युजन प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री और सक्रिय कार्डियक केंद्र से डिग्री पूर्ण करने के पश्चात दो वर्ष का कार्यानुभव, या</p> <p>2. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से परफ्युजन प्रौद्योगिकी में दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा; या</p> <p>3. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से परफ्युजन प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर की डिग्री।</p> <p>टिप्पण : 1 अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के जो लेखबद्ध किया जाए जो कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किया जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के</p>	लागू नहीं होता।	<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।</p> <p>टिप्पण : सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूरी करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम 2 सप्ताह की अवधि का एक प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।</p>	<p>सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>टिप्पण 1: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने अथवा लंबे समय से बीमार होने अथवा अध्ययन अवकाश पर चले जाने पर अथवा अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए होने वाली रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकेगा जो :</p> <p>क (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों ; या</p> <p>(ii) मूल काडर या विभाग में लेवल - 5 ( 29200 - 92300 रु) में, या समतुल्य में, नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात छः वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं; और</p> <p>(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथाविहित शैक्षिक अर्हताएं/अनुभव रखते हों।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>

अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			
--	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) : 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल -अध्यक्ष; 2. विभाग के अध्यक्ष (संबंधित), सफदरजंग अस्पताल -सदस्य; 3. उप निदेशक (संबंधित) स्वास्थ्य सेवा माहनिदेशालय -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए.11018/24/2024-एम एच-II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव,

New Delhi, the 4th June, 2025.

**G.S.R..78.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Safdarjung Hospital, New Delhi, Junior Perfusionist, Group 'C' post, Recruitment Rules, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Perfusionist in the Safdarjung Hospital, New Delhi under the Ministry of Health and Family welfare, namely:-

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Junior Perfusionist (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

2. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
3. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Junior Perfusionist.	14* (2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	Not applicable.	Between 18 and 30 years.  (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Qualifications 1. Bachelor's Degree in Perfusion Technology from a recognised University or institute and two years of working experience after completion of degree from active cardiac center; or 2. Two years post graduate Diploma in Perfusion Technology from a recognised University or institute; or 3. Master Degree in Perfusion

						<p>Technology from a recognised University or Institute.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available</p>
--	--	--	--	--	--	---

						to fill up the vacancies reserved for them.
--	--	--	--	--	--	---

ther age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits.  Note: There shall be a mandatory training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment.  Note 1: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by the appointing authority on deputation from officers of the Central Government:  (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years regular service rendered after appointment to the post on regular basis in the level -5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and  (b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits	Not applicable.	Group 'B' Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:  1. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital – Chairperson;  2. Head of Department (Concerned) Safdarjung Hospital – Member;  3. Deputy Director (Concerned), Directorate General of Health Services – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.



		under column (7).			
		Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of application.			

[F.No. A.11018/24/2024-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जून, 2025

**सा.का.नि. 79** — राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय ओषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मुंबई (कार्यालय अधीक्षक) भर्ती नियम 2001 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय ओषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मुंबई में कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केन्द्रीय ओषधि मानक नियंत्रण संगठन, केन्द्रीय ओषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मुंबई, कार्यालय अधीक्षक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति. - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।